



यूक्रेन में चार न्यूक्लियर पावर प्लांट

आईएईए (इंटरनैशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी) ने भी स्थानीय अधिकारियों से बातचीत के बाद बताया कि संयंत्र के आसपास रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं पाई गई है। इस बात से थोड़ी राहत की सांस जरूर ली जा सकती है, लेकिन याद रखना होगा कि वहां हालात जस के तस हैं।

राधा जोशी।।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में जोपोरिजिशिया परमाणु संयंत्र पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया में बेचैनी फैला दी। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। हमले की वजह से वहां एक इमारत में आग लग गई थी। यूक्रेन के ही चेर्नोबिल में 1986 में हुई परमाणु संयंत्र दुर्घटना को दुनिया आज तक नहीं भूल पाई है। कहा गया कि अगर जोपोरिजिशिया परमाणु संयंत्र में विस्फोट होता है तो वह चेर्नोबिल हादसे से दस गुना ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है। गनीमत रही कि आग जिस बिल्डिंग में लगी थी, उसमें ट्रेनिंग दी जाती थी। कोई संवेदनशील मशीनरी वहां नहीं थी। उस आग पर भी समय रहते काबू पा लिया

गया। इसके बाद आश्वस्त किया गया कि न्यूक्लियर प्लांट अब पूरी तरह सुरक्षित है। आईएईए (इंटरनैशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी) ने भी स्थानीय अधिकारियों से बातचीत के बाद बताया कि संयंत्र के आसपास रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं पाई गई है। इस बात से थोड़ी राहत की सांस जरूर ली जा सकती है, लेकिन याद रखना होगा कि वहां हालात जस के तस हैं। यूक्रेन में चार न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। रूसी फौजें हमले जारी रखे हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम



का उनके रुख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। समझना होगा कि जोपोरिजिशिया में जिस तरह की स्थिति बनी, वह दो देशों के बीच युद्ध भर का मामला नहीं रह गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर खतरे का मतलब था पूरे यूरोप पर खतरा। किसी देश के सामने युद्ध में उतरने की चाहे जितनी भी जायज वजह हो, उसे यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि इसमें वह उन को भी दांव पर

लगा दे, जो उस युद्ध में शामिल नहीं हैं। चीन समेत दुनिया के तमाम देशों ने ठीक ही इस स्थिति पर चिंता जताई है। ब्रिटेन ने इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की अपील की है। बैठक जरूर हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उस बैठक से इसका कोई हल निकले। अब तक की तमाम बैठकें इस मामले में बेअसर कही जा सकती हैं कि इनसे जमीनी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ सका है। रूस और यूक्रेन के बीच भी दो दौर की बातचीत तो हो ही चुकी है, तीसरे दौर की बातचीत भी होने वाली है, लेकिन अब तक न तो युद्धविराम की कोई सूरत बनती दिख रही है और न ही नागरिकों के लिए सेफ पैसेज देने जैसे मसलों पर कोई ठोस प्रगति हो सकी है।

जिम्मेदार

अशोक वोहरा। हमारी दुनिया में सब कुछ बनाने के लिए यह पदार्थ भी असीमित, अनिश्चित और अनन्त होना चाहिए। इसके अनुशीलन के अनुसार, हवा वह तत्व है जो हमारी आत्मा और जीवन के सिद्धांत का निर्माण करता है, यह हमें एक साथ रखता है और हमें नियंत्रित करता है। हर चीज को सही जगह पर रखें और ठीक से काम करें। जेनोफेनेस ने दुनिया की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली को प्रकृतिवादी शब्दों में समझाया। उन्होंने उन विचारों को खारिज कर दिया कि ग्रीक पौराणिक कथाओं के देवता दुनिया में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। इस विचारक तत्वों के लिए जैसे हवा, पानी, पृथ्वी और स्पिरिटुअल वाष्पीकरण, संघनन और ठोसकरण जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल थे, और ये प्रतिक्रियाएं मानवता में होने वाली हर चीज का कारण थीं।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

जड़ पर प्रहार करें

हम ध्यान से देखें, तो सामाजिक दुष्ट प्रथाएं वास्तव में हमारे आर्थिक मैट्रिक्स में गहराई से निहित एक बहुत बड़ी समस्या— सभी संपत्तियों और संस्थानों पर पुरुष का अधिकार—की अभिव्यक्ति हैं, जो न तो समतावादी है और न ही लोकतांत्रिक। नेक नीयत और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद भी उपरोक्त सभी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि समस्या की जड़ अभी भी अछूती है। चूंकि पूरे समाज की संरचना और महिलाओं के बारे में सामाजिक धारणा नहीं बदली है, इसलिए समस्याओं की जड़ अभी भी मौजूद है। पितृसत्ता (पुरुषवाद) और नारीवाद (फेमिनिज्म)— दोनों ही दो चरम सीमाएं हैं। और हम जानते हैं कि थीसिस—एंटी—थीसिस—सिन्थेसिस यानी क्रिया—प्रतिक्रिया—संश्लेषण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पितृसत्ता के लंबे अत्याचार (थीसिस) के बाद नारीवाद (एंटी—थीसिस) आ चुका और उसके बाद अब संश्लेषण (सिन्थेसिस)का समय आ गया है। वह समय आ गया है जब हमें एक समतावादी और न्यायवादी समाज की ओर बढ़ना होगा जो पूरे समाज के आपसी सम्मान, समर्थन और सहयोग पर आधारित हो और एक दूसरे को जगह दे। चूंकि सामाजिक समस्याएं किसी बड़ी आर्थिक अस्वस्थता की अभिव्यक्ति हैं, इसलिए जब हम आर्थिक मुद्दों को हल करेंगे तो ये सामाजिक समस्याएं अपने आप गायब हो जाएंगी।

राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों, गैर—सरकारी संगठनों और सामाजिक विशेषज्ञों को विवाह और संपत्ति के अधिकारों में संरचनात्मक परिवर्तनों पर काम करना चाहिए। इसलिए, विवाह और संपत्ति कानूनों की संस्था को सामाजिक विशेषज्ञों द्वारा फिर से विचार करने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक व्यवस्था को समतावादी और लोकतांत्रिक बनाया जा सके, जो आपसी सम्मान समर्थन और सहयोग के आधार पर एक दूसरे को स्थान प्रदान कर सके। यह देखना उत्साहजनक है कि कुछ राज्यों में, माता—पिता की संपत्ति बेटियों के बीच भी हस्तांतरित की जा रही है।

विवाह की प्राचीन भारतीय धारणा स्वयंवर और दुल्हन की सहमति पर आधारित थी। श्रम के विभाजन के साथ, आदमी कमाने वाला बन गया और नारी घर और चूल्हे की प्रबंधक बन गई।

कानूनी और आर्थिक उपाय

नवीन शाह।।

कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं स्त्री को देवी कहती हैं मगर उसे कभी भी स्वतंत्र नहीं होने देती और सदा पुरुष संरक्षण की चेतावनी देती हैं। ऐसे ही समाज सामाजिक अपराध को उचित ठहराते हैं और इसका दोष नारी पर मढ़ देते हैं। कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं में पत्नी को 'शरीक—ए—हयात' (जीवन—साथी) कहा जाता है, लेकिन वह पुरुष के अधीन होती है। साथ ही, चार पत्नियों और तत्काल तलाक का तरीका विवाह जैसी संस्था को कमजोर और तुरत टूटनेवाला बना देता है।

विवाह की प्राचीन भारतीय धारणा स्वयंवर और दुल्हन की सहमति पर आधारित थी। श्रम के विभाजन के साथ, आदमी कमाने वाला बन गया और नारी घर और चूल्हे की प्रबंधक बन गई। पुरुष पर आर्थिक निर्भरता के बावजूद नारी को सम्मान मिला। लेकिन मध्ययुगीन काल के बीच, सामाजिक कुरीतियों ने सामाजिक ताने—बाने को नष्ट कर दिया। लड़की को अपनी आय कमाने के लिए न तो माता—पिता और न ही ससुराल वालों से कोई वित्तीय संपत्ति मिली। केवल आकस्मिक सुरक्षा के लिए कुछ गहने ही स्त्रीधन के रूप में दिए गए। बाद में महिला पढ़—लिख कर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ी, सरकारों ने महिला के लिए साक्षरता दर और



विवाह की आयु बढ़ा दी। नारी के शिक्षा प्राप्त करने और अपनी आय अर्जित करने के बाद अर्थव्यवस्था में भी प्रगति हुई। अब यह आवश्यक था कि समाज भी प्रगति करे और बदल जाए जिससे समाज की गाड़ी के सभी पहिये संतुलित रहें। लेकिन ये बदलाव नहीं हुआ। विवाह—प्रणाली और समाज— दोनों ही अर्थव्यवस्था और नारी की प्रगति के साथ मेल नहीं खा सके। महिला को विकास के मार्ग पर आगे और उच्च शिक्षित छोड़कर वे खुद प्राचीन और अविकसित बने रहे। इससे समाज की गाड़ी के सभी पहिये बेमेल और असंतुलित हो गए हैं। भारत और बाहर विदेशों में समाज ज्यादातर पितृसत्तात्मक है। इसकी

संरचना महिलाओं की रक्षा करने के लिए बनाई गयी थी न कि उन्हें प्रतिबंधित या संकुचित करने के लिए। लेकिन वास्तव में पितृसत्ता ने अतिवाद के चरम तत्वों को फैलाया है जो महिलाओं की स्थिति को पुरुष के सामने गौण और संकुचित कर दिया है। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में, समाज को नारीवाद (फेमिनिज्म) की घटना को देखना पड़ा। महिलाओं के लिए वास्तविक जागरण 20वीं सदी में 8 मार्च, 1908 को आया जब अमेरिकी कपड़ा मिलों की महिला मजदूरों ने काम के घंटे कम करने और मजदूरी बढ़ाने की अपनी मांग पूरी की। यह एक ऐतिहासिक दिन था जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद, सभी सरकार और भारत सरकार उनकी समस्याओं से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाई गई, उत्तराधिकार कानूनों में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला कोष जैसे स्वायत्त संगठन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में बनाए गए। महिला स्वास्थ्य, साक्षरता और उनकी देखभाल पर ध्यान दिया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 को सुरक्षा अधिकारियों के प्रावधान के साथ हिंसा के मामले दर्ज करने और पीड़िता की काउंसलिंग के लिए लागू किया गया था।

सूदोकु बवताल-5407				सूदोकु बवताल-5406 का हल				
6	9		7	4		8		
	8	5	6	2			4	9
7						6		3
	3	9	5					1
1			8					5
	6			2	9	3		
4	7							2
8	2		5	9	1	7		
	1	2	3			5	8	

अपना ब्लॉग

तीन तलाक भारत में अब अमान्य

मोहन। तीन तलाक को भारत में अब अमान्य कर दिया गया है लेकिन इस बदलाव का विरोध अभी भी होता है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि कई महिलाएं लड़की नहीं चाहती हैं और उन्होंने स्वयं कन्या भ्रूण हत्या का सहारा लिया है। यह केवल इस बात की पुष्टि करता है कि जीवनदाता का अपना जीवन कितना भयानक रहा होगा कि अपनी बच्ची के जीवन की बजाय मृत्यु को चुनना पड़ा है। शेक्सपियर ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'जुलियस सीजर' में कहा है— "प्रिय ब्रूटस, गलती हमारे सितारों में नहीं बल्कि खुद हममें है!" जब जीवनदाता लड़के को पैदा करने के लिए परिवार के दबाव के कारण असुरक्षित महसूस करती है और अपना कन्या—भ्रूण समाप्त करती है, तो निश्चित रूप से हमारे सिस्टम में भारी गड़बड़ है। इन वर्षों में, इस बेमेल ने गर्भ से लेकर कब्र तक कई सामाजिक दुष्ट प्रथाओं को जन्म दिया। दहेज विरोधी, हिंसा विरोधी, भेदभाव विरोधी, कन्या भ्रूण हत्या विरोधी और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों और विधायी उपायों के बावजूद ये सभी सामाजिक दुष्ट प्रथाएं चलती रही हैं।

